उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – ......25....../2018

जगेश्वर यादव बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-08-2018	अपीलार्थी जगेश्वर यादव, पिता इंद्र यादव, साकिन– इंद्रवा बस्ती, पो0+थाना– झुमरी तिलैया, जिला कोडरमा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–85/2012 में दिनांक 17.07.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा– 59 के तहत् अपील दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ निम्न न्यायालय का पारित आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर समर्पित किया गया है। प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक ...05-09-2018... को अभिलेख उपस्थापित करें। 21/8/18 उपायुक्त, रामगढ़।	
05/09/2018	अपीलार्थी – पुकार करने पर अनुपस्थित दिनांक 14/09/2018 को रखें। 05/9/18	
14-09-18	अपीलार्थी – अनुपस्थित पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 03/10/2018 को रखें। प्र०पदा०	
03/10/18	अपीलार्थी – वकालतन हाजिरी पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 24/10/2018 को रखें। प्र०पदा०	

Scanned by CamScanner

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

28/12/18
अपीलार्थी – अनुपस्थित
विपक्षी – राज्य
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 02/01/2019 को रखें।

प्र०लि०

02/01/2019
अपीलार्थी – अनुपस्थित।
विपक्षी – राज्य
आदेश हेतु रखें।

02/1/19

–: आदेश :–

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर अपीलार्थी अनुपस्थित। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पक्ष की रूची उक्त दायर वाद में नहीं है। अतः अपीलार्थी पक्ष की उदासिनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त राज्यसात वाद संख्या– 85/2012 अभिलेख एवं संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या–85/2012 में दिनांक 17.07.2018 को पारित से असहमत् होनें का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

02/1/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

02/1/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

Scanned by CamScanner